म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/3/4/स्वी/19/पी-3/पार्ट-6/ 217 भोपाल, दिनांक 06/08/2020

प्रति,

संयुक्त/उपसंचालक, (समस्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, ... (म0प्र0)

विषय:- मण्डी समितियों के प्रांगण/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।

-0-

उल्लेखित विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश अनुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण के बाहर किसी भी प्रकार के कृषि उपज के क्रय-विक्रय के संबंध में मण्डी समितियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नही किया जावेगा। ऐसी स्थिति में मण्डी समितियों के प्रांगणो के बाहर मण्डी क्षेत्र में लगाये गये समस्त कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र मात्र मण्डी प्रांगण ही रह जाता है।

उक्त स्थिति में आपके संभागन्तर्गत मण्डी प्रांगण के बाहर कार्यरत मण्डी निरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक मण्डी समिति में कार्य हेतु उपलब्ध हो गये है। उक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त मण्डी प्रांगण/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अद्यतन स्थिति में कुल कितने सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता मण्डी समितियो को होगी, जानकारी मण्डीवार प्राप्त कर एकजाई जानकारी अपने स्पष्ट अभिमत सहित आज ही ही ई-मेल के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करे।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/3/4/स्वी/19/पी-3/पार्ट-6/ 218 भोपाल, दिनांक 06/08/2020

प्रतिलिपि:-

(1) भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ...की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल